

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर (कैम्प भोपाल)

निगा - 2125-PBR/16

रा.प्र.क्र./...../ 2016

पद्म सिंह आत्मज स्व. श्री रामलाल, आयु वयस्क
निवासी म. नं. 09, बाग सेवनिया,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

निगरानीकर्ता/

विरुद्ध

01. कालूराम आत्मज स्व. श्री रामलाल, आयु वयस्क
 02. मानसिंह आत्मज स्व. श्री रामलाल, आयु वयस्क
 03. हरिचरन आत्मज स्व. श्री रामलाल, आयु वयस्क
 04. संतोष आत्मज स्व. श्री चम्पालाल, आयु वयस्क
 05. कमलेश आत्मज स्व. श्री चम्पालाल, आयु वयस्क
 06. शीला बाई पुत्री स्व. श्री चम्पालाल, आयु वयस्क
 07. सुमन बाई पत्नी स्व. श्री चम्पालाल, आयु वयस्क
- समस्त निवासी - पुरानी बस्ती, बाग सेवनिया,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)

उत्तरदातागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

महोदय जी,

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज, जिला रायसेन के प्रकरण क्र. 41/अपील/2015-16 (पद्मसिंह विरुद्ध कालूराम एवं 06 अन्य) में अधिकारिता रहित पारित स्थगन आदेश दिनांक 07.04.2016 से दुःखी होकर यह निगरानी आदेश की जानकारी होने पर ज्ञान की दिनांक 08.06.2016 से समय सीमा में माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस तथ्यों एवं आधारों पर सादर प्रस्तुत है।


गोहरगंज
रायसेन,
- 471002
(121 29) 611
नो 5032)

10611

R 2125-1182/16 कोलकाता


30.6.2016

आवेदक की ओर से श्री गुलाब सिंह चौहान आयोगाधिक उपस्थित।
अग्रप्रता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के


30.6

आदेश दिनांक 7.4.2016 की हल प्रतीति का अकोषन किया गया। उक्त आदेश से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अग्रप्रता से स्थान आदेश प्राप्त होने तक अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश का प्रभावण लागू किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अनियमितता परिवर्धित नहीं होती है। उक्त निगरानी अग्रप्रता की जाती है।




अधीक्षक